लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर, भोपाल 462023
E-mail grant-dpi@mp.gov.in

क्रमांक / अनुदान / बी / 01 / 2019–20 / 958 भोपाल, दिनांक 5/9/19

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैर, उमरिया एवं विदिशा मध्यप्रदेश।

विषय :– अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के अमले को छठवे वेतनमान की पाँचवी किश्त के भुगतान हेतु बजट आवंटन।

संदर्भ :– बजट कक्ष से अनुमोदित टीप क्रमांक / बजट / 1378 दिनांक 26.08.2019 द्वारा प्रदाय बजट आबंटन।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप के अनुक्रम में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों / कर्मचारियों को छठवे वेतनमान की पाँचवी किश्त के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट आवंटन निम्न बिन्दुओं के पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार जारी किया जाता है :–

01 उक्त विषयान्तर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग को दिनांक 01.01.2006 से छठवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में म0प्र0 शासन शालेय शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ–37–8 / 2015 / 20–3 दिनांक 25.07.2015 का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

02 अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के मान से नियमित वेतन भुगतान एवं एरियर राशि के भुगतान के पूर्व संस्थाओं का विधिवत संचालन का सत्यापन कर लिया जाए।

03 शासन के ज्ञाप दिनांक 31.01.2000 द्वारा इन अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया था। तद्नुसार इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूल की गई राशि का समायोजन किया जाना अपेक्षित है। राशि समायोजन के फलस्वरूप कार्यरत शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक अमले से कोई राशि की वसूली नहीं की जावेगी।

04 दिनांक 01.04.2000 के उपरांत संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये गये शैक्षणिक अमले को अनुदान मद से किसी प्रकार से कोई भुगतान नहीं किया जाए।

05 अशासकीय शालाओं में स्वीकृत अमले पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन–भत्ते इत्यादि को अनुदान के लिए संचालित पृथक–पृथक योजनाओं को एक ही योजना में समाहित किया गया है। सभी प्रकार के अशासकीय शालाओं के लिए अनुदान निर्धारित मापदण्ड अनुसार इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत / भुगतान किया जावेगा। परन्तु प्रत्येक स्वरूप की अशासकीय शाला में व्यय की गई राशि का लेखा संधारण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र पृथक–पृथक संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्य के लिए विशेष रुप से दायित्वपूर्ण होंगे।

बजट शीर्ष 027–2202–01–102–9949–42–002 अशासकीय शालाओं को अनुदान :–

स. क्र.	जिला	वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग की जा रही राशि बजट शीर्ष 027–2202–01–102–0101 / 0102 / 0103–9949–42–002	वित्तीय वर्ष 2019–20 में आबंटित की गई राशि बजट उप शीर्ष		
		छठवें वेतनमान के एरियर्स की पाँचवी किश्त	0101	0102	0103
01	Narsinghpur 2602003003	1,26,03,404	71,83,940	36,54,987	17,64,477
02	Neemuch 2702003045	2,29,74,390	1,30,95,402	66,62,573	32,16,415
03	Panna 2802003001	11,17,618	6,37,042	3,24,109	1,56,467

04	Ratlam 3102003001	2,59,96,341	1,48,17,914	75,38,939	36,39,488
05	Rewa 3202003002	6,22,42,369	3,54,78,150	1,80,50,287	87,13,932
06	Sagar 3302003002	5,43,06,880	3,09,54,922	1,57,48,995	76,02,963
07	Satna 3402003110	3,19,47,935	1,82,10,323	92,64,901	44,72,711
08	Sehore 3502003001	0	0	0	0
09	Seoni 3602003001	99,59,084	56,76,678	28,88,134	13,94,272
10	Shahdol 3702003001	59,39,804	33,85,688	17,22,543	8,31,573
11	Shajapur 3802003001	37,61,816	21,44,235	10,90,927	5,26,654
12	Sheopur 4002003008	26,86,929	15,31,550	7,79,209	3,76,170
13	Shivpuri 3902003045	4,53,66,157	2,58,58,709	1,31,56,186	63,51,262
14	Sidhi 4102003001	22,48,708	12,81,764	6,52,125	3,14,819
15	Tikamgarh 4202003001	2,46,24,637	1,40,36,043	71,41,145	34,47,449
16	Ujjain 4302003046	4,75,00,000	2,70,75,000	1,37,75,000	66,50,000
17	Umaria 4402003019	0	0	0	0
18	Vidisha 4502003001	2,12,26,324	1,20,99,005	61,55,634	29,71,685
	कुल योग =	**37,45,02,396**	**21,34,66,365**	**10,86,05,694**	**5,24,30,337**

06 आवंटित की जा रही राशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों का एतद् विषयक् शासन/विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। विगत वर्ष के उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को नहीं भेजे गये हों तो तत्काल महालेखाकार को भेजते हुए इस कार्यालय को भी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं एवं इस वर्ष की राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को राशि व्यय उपरांत भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/अनुदान/बी/01/2019–20/७५७ भोपाल, दिनांक ५/७/१९

प्रतिलिपि :–

1– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

2– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/शालेय शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

4– समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

5– सहायक संचालक (बजट), स्थानीय की ओर उक्त आवंटित राशि बजट सर्वर में तत्काल फीड कराये जाने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.